



<b>केनरा बैंक</b> (महा लक्ष्मी का प्रमाण)	<b>Canara Bank</b> (A Govt. of India Undertaking)	केबीआई कार्यालय <span> </span> : वसुन्डी, काठुडी, छोटाछाडी विभाग <span>अनुभाग,</span> केबीआई कार्यालय, बी-35, साइबर प्रीटिदा रिडिङ्ग, सेक्टर-32, बुधुगाम-122003	<b>मांग सूचना</b> <b>पूछना</b>
चूंकि, अघोस्ताहारी ने केनरा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आसियों का पुनर्निर्माण और सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता को मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक नोटिस प्रतीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया और उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता के पते से वापस आयाग आ गया। इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें एतद्वारा उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर, बैंक सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अवसर और सब संर्पातों/यों का कब्जा ले लेगा और प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेच देगा। उधारकर्ता/गिरवी की प्रत्येक शक्ति को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित अवसर/घर संर्पातों/यों के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें और संर्पातों/यों के साथ किया गया कोई भी लेन-देन बकाया राशि और उस पर व्याज तथा अन्य शुल्कों के लिए केनरा बैंक के प्रभार के अधीन होगा।			
उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ों) / निदेशक / अधिकृत निदेशक / गारंटर / बंधकर्ता के नाम एवं पते	घर / अवल संर्पातों के विवरण	मांग सूचना के अनुसार देयताधि	मांग सूचना की तिथि
<b>शाखा – बुधुगाम सुखराणी 18243</b>	स्वामित्व धारक का नाम <span> </span> : मैसर्स मोटोकार्स पावर अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड चल 1 – स्टॉक/रू. 403.27 लाख और बुक डेड्स-रू. 263.89 लाख (दिनांक 30.11.2025 के स्टॉक विवरण के अनुसार) (CERSA1 परिसंपत्ति आईडी – 2000698412745) घर 2 <span> </span> : प्लाट और मशीनरी-रू. 167.46 लाख (दिनांक 08.06.2021 की रवीकृति के अनुसार)	रू. 90.17,536.12 (रुपये) नब्बे लाख साठ हजार पाँच सौ वीसती और बारह पैसे मात्र) आने व्याज और आकर्षित खर्चों, लागतों के साथ।	<b>एकपक्षी की तिथि</b> 08.01.2026
मैसर्स मोटोकार्स पावर अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, प्लांट संख्या जी1-139, आरआइआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र सुखखेडा, तिवाड़ा, जिला-अलवर, राजस्थान-301707, 2. श्रीमती नी. निका गुप्ता पत्नी श्री चंदर प्रकाश गुप्ता (निदेशक) बी4/22 दूसरी मंजिल, डीलरकूप अलमोहा, सेक्टर73, गोकुल कोर्स एक्सप्लोरेशन रोड, गुडगांव, हरियाणा-122001, 3. श्री नमन गुप्ता पुत्र श्री चंदर प्रकाश गुप्ता (निदेशक) बी4/22 दूसरी मंजिल, डीलरकूप अलमोहा, सेक्टर 73, गोकुल कोर्स एक्सप्लोरेशन रोड, गुडगांव, हरियाणा-122001, 4. श्री सुमित कुमार (अतिरिक्त निदेशक) बी4, आनंद निकेतन सोसाइटी, जीएफ 16 62 भाखराखण, गुडगांव, हरियाणा-122001, 5. श्री रविंदर कुमार (अतिरिक्त निदेशक) द्वारा मैसर्स मोटोकार्स पावर अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, प्लांट नं. जी1-139, आरआइआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र सुखखेडा, तिवाड़ा, जिला-अलवर, राजस्थान-301707, 6. श्री चंदर प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ (गारंटर/गिरवीकर्ता) बी4/22 दूसरी मंजिल, डीलरकूप अलमोहा, सेक्टर 73, गोकुल कोर्स एक्सप्लोरेशन रोड, गुडगांव, हरियाणा-122001, 7. श्री अमित कुमार पतिल पुत्र श्री जगन्नाथ पतिल (गारंटर / गिरवीकर्ता) नकान संख्या 9129/5 याता बांस अंबाला शहर, हरियाणा-134003			
दिनांक <span> </span> : 14-01-2026	स्थान <span> </span> : गुडगाँव	हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक	

Be Swasth Healthcare Limited					
CIN : L93900DL198SP1C021397					
पंजीकृत कार्यालय : 812, अग्रवाल फार्माज-1, नेताजी सुभाष रोड, प्लेतमपुरा, नई दिल्ली –110034					
ईमेल : cs@be-swasth.com, संपर्क नंबर : 011-46142960					
31 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश					
(ईपीएस को छोड़कर राशि लाखों में)					
विवरण	तिमाही समाप्त		नौ माह समाप्त		तीस माह समाप्त
	31-12-2025 अंशवारकाल	30-09-2025 अंशवारकाल	31-12-2024 अंशवारकाल	31-12-2024 अंशवारकाल	31-03-2025 लेखापरीक्षा
प्रचालनों से कुल आय	2.25	2.26	2.25	6.76	16.46
शुद्ध लाभ/(हानि) अपवाद और असाधारण मदों तथा कर से पहले	(2.96)	(2.38)	(1.03)	(6.14)	0.42
शुद्ध लाभ/(हानि) कर, अल्प हित तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के हिस्से के पश्चात	(2.96)	(2.38)	(1.03)	(6.14)	0.15
अवशिष्ट हेतु कुल व्यापक आय	(2.96)	(2.38)	(1.03)	(6.14)	0.15
प्रदत्त इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	111.90	111.90	111.90	111.90	111.90
आरक्षित, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यन आरक्षित छोड़कर	-	-	-	-	-
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं)	(0.26)	(0.21)	(0.09)	(0.55)	0.01
0) मूल					
0) तनुकृत					
<b>टिप्पणियाँ :</b>					
1. कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित और निदेशक मंडल द्वारा सोमवार, 12 जनवरी, 2026 को आयोजित वार्षिक बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। सांख्यिक लेखा परीक्षकों की समिति समीक्षा रिपोर्ट में ग्रेटरोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रस्तुत की जा रही है।					
2. उपरोक्त विवरण सही (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) वित्तीयमावली, 2015 के वित्तीयम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। सांख्यिक लेखा परीक्षकों की समिति समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः <a href="http://www.mse.in">www.mse.in</a> और कंपनी की वेबसाइट यानी <a href="http://www.be-swasth.in">www.be-swasth.in</a> पर उपलब्ध है।					
<div></div>					
<div><div>बृत्ते Be Swasth Healthcare Limited</div><div>हस्ता /—</div><div>सुधमा जैन</div><div>(प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ)</div><div>डीआईएन : 08545336</div></div>					
<div><div>स्थान : नई दिल्ली</div><div>दिनांक : 12-01-2026</div></div>					



ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कांर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. हाइवेरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 । दूरभाष: 022.69231111 / 9833546349

[परिशिष्ट –IV–A, नियम 8(6) के परंतुक के साथ 9 (1) पठित]

अचल संपत्तियों की डिब्बी के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना, सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के परंतुक के साथ पठित। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं सह-उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, का कब्जा सुरक्षित लेनदार सम्मान कर्षित लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ओमकारा पीप 22/2024-25 ट्रस्ट के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओआरपीएल) ने दिनांक 29.03.2025 के असाहमति समझौते के माध्यम से सम्मानी कीर्तिलाल लिमिटेड (ईडिआबुल्ल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड), जो कि असाधारण था, से अंतर्निहित सुस्था सहित संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। उक्त असाहमति समझौते के अनुसार, ओआरपीएल ने असाधारण का स्थान ग्रहण कर लिया है और यह बकाया राशि की वसूली और सुस्था को लागू करना क हवादार है। तदनुसार, नीचे वर्णित अचल संपत्ति को “जैसा है, जहां है,” “जैसा है, जो है” और “जो कुछ भी है” के आधार पर कुल बकाया राशि 12.29.328/- रुपये (बारह लाख उन्तीस हजार तीन सौ अठ्ठाईस रुपये मात्र) की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो दिनांक 11.01.2026 तक लागू है, साथ ही ब्याज और व्यय 12.01.2026 को उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदारों से प्राप्त ओआरपीएल के कारण भी इसमें शामिल है। संपत्तियों की विक्री सरकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी। संपत्ति का आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित कॉलम में नीचे दी गई है।

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	ईएमवी (रुपये में)	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता
प्लॉट संख्या-एएफएच-8, प्लॉट संख्या-बी-8/1, पहली मंजिल, फीडे दाहिनी ओर, डीलरकूप अक्षुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102। प्लॉट का क्षेत्रफल – 309 वर्ग गज।	8,10,000 /—	81,000 /—	संदीप कुमार (उधारकर्ता) सिया भाइयार (सह-उधारकर्ता)
कुल	8,10,000 /—	81,000 /—	
बोली में वृद्धि रू— रु. 25,000 /—			
निषेधण तिथि और समय: 23 जनवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक			
सहभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमवी के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय: 29 जनवरी 2026, शाम 4 बजे तक			
नीलामी की तिथि: 30 जनवरी 2026, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक			ज्ञात देनदारियों: कोई नहीं

यह नीलामी ओआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जहाँ जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों में) ईएमवी (मूल डिब्बी) के आईडर या एनएफआई/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान के साथ 29.01.2026 को शाम 4:00 बजे तक है। बोली जमा करने समय, बोलीदारा को दिवालिगापान सहिता, 2016 की धारा 29(ए) के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर बोली रद्द कर दी जाएगी। विक्री के विस्तृत विवरण और शर्तों के लिए, कृपया <https://omkaraarc.com/auction.php> पर दिए गए लिंक को देखें। जिन इच्छुक नीलामताओं ने ईएमवी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पारसर्द बनाया, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी वेबसाइट “मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड” हेतुलाइन:- +91-7291981124 / 28926, ईमेल आईडी: [support@bankeauctions.com](mailto:support@bankeauctions.com), से संपर्क कर सकते हैं। संपत्ति सार्वजनिक विक्री भी प्रश्न के लिए, अधिकृत अधिकारों की श्रांजोड मोराले से कार्यालय समय और कार्यदिशायों में मांगकर:- +91 9833546349, ईमेल:- [rajendra.bhosale@omkaraarc.com](mailto:rajendra.bhosale@omkaraarc.com) संपर्क करें। संपर्क न कर पाने की स्थिति में बोली असवीकृत कर दी जाएगी।

**वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ 9(1) के तहत विक्री के लिए वैधानिक सूचना** यह सूचना उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/ गारंटर/गिरवीदाराओं के 15 (पंद्रह) दिनों की अनिवार्य सूचना है। यह सूचना सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित 9(1) और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्राधान्यों के अंतर्गत दी गई है, जिसमें उन्हें सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है। उपरोक्त तिथि और समय पर नीलामी आयोजित की जाएगी और उन्हें सहाइ दी जाती है कि यदि वे चाहें तो बकाया राशि, लागत एवं व्यय सहित, सरकारी अधिनियम की धारा 13(6) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर अवसर के परिपाम्पत्तियों को छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के विवेक पर, संपत्ति को सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जा सकता है।

हस्ताक्षर /—  
दिनांक: 14.01.2026  
स्थान: मुंबई

अधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड  
(ओमकारा पीप 22/2024-25 ट्रस्ट के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए)

<b>वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड</b> varthana ब्रीडकू कार्यालय <span> </span> : ए.डीबी-110, परशिट, आदर पि रोड, पंडित रोड, नीला चर्चि, ए.एन.जीआर जेआरए, कल्यान नगर, मुंबई-560043 www.varthana.com फोन: 080-4855777 फ़ैक्स: कावेलार, प्लॉट नं. 3, इंदिरा कालो, पार्स ओमोवेल एडर, प्लॉट नं. 1, नेताजी सुभाष रोड, वीरमपुर, दिल्ली – 110034
<b>कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)</b>
जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 33) के अंतर्गत वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में थिरोनो फाइनेंस प्राइवेट लि.) , दिल्ली के अधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आवेदकों/ सह-आवेदकों/ बंधकर्ताओं सहित आम जनता को सूचित किया जाता है कि संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन न करें तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन भुगतान को थिथक अनुवर्धित दर पर व्याज, अनुभाषिक खर्चें लागत और अन्य शुल्क के साथ दिनांक 28.10.2025 को देय रू. 35,36,131/- (तीस लाख छत्तीस हजार एक सौ इक्तीस रुपये मात्र) की राशि के साथ भुगतान की थिथक मांग सूचना में वर्णित अनुवर्धित दर पर व्याज, अनुभाषिक खर्चें लागत और अन्य शुल्क को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
किन्तु, उपरोक्त आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधकर्ताओं द्वारा उक्त राशि तथा व्याज एवं अन्य चार्जों का समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण, मैं, वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली भाषा के अधिकृत अधिकारी ने आज दिनांक 08.01.2026 को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आवेदकों/ सह-आवेदकों/ बंधकर्ताओं सहित आम जनता को सूचित किया जाता है कि संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन न करें तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन भुगतान को थिथक अनुवर्धित दर पर व्याज, अनुभाषिक खर्चें लागत और अन्य शुल्क के साथ दिनांक 28.10.2025 को देय रू. 35,36,131/- (तीस लाख छत्तीस हजार एक सौ इक्तीस रुपये मात्र) की राशि के लिए वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आगरा शाखा के प्रभार के अधीन होगा। आवेदकों/ सह-आवेदकों/ बंधकर्ताओं का ध्यान संपत्ति को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण:** दिनांक 21.12.2012 के इशार विलेज के अनुसार, कृत्र क्षेत्रफल क्षेत्र में 30, खतीन नं. 30, खतर नं. 61/61 (6-4) में से 50/124 हिरा कान 2 कनाल 10 पसर और क्षेत्र नं. 30, खतीन नं. 34, खतर नं. 62/2 (2-13), 10/8-15) में से 50/128 हिरा कान 3 कनाल 14 मरला, मौजा-मोहोद हाल, लहरील-नारौल (हरियाणा) जो संपत्ति वेध फंडह हित मेंमोहिल शिषण वर्मित, सचिव श्री विजय पाल पुत्र श्री राम सिंह (व्यामी), निवासी जिला नारौल, हरियाणा। 123023 के माध्यम से, के पक्ष में है, संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: शिव राम का प्लाट, दक्षिण: मुकुल का प्लाट, पूर्व: रज्जुक, पश्चिम: अन्य प्लाट।

दिनांक: 14-01-2026, स्थान: लहरील-नारौल  
हस्ता/— अधिकृत अधिकारी, वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

**अचल संपत्ति का विवरण:** दिनांक 21.12.2012 के इशार विलेज के अनुसार, कृत्र क्षेत्रफल क्षेत्र में 30, खतीन नं. 30, खतर नं. 61/61 (6-4) में से 50/124 हिरा कान 2 कनाल 10 पसर और क्षेत्र नं. 30, खतीन नं. 34, खतर नं. 62/2 (2-13), 10/8-15) में से 50/128 हिरा कान 3 कनाल 14 मरला, मौजा-मोहोद हाल, लहरील-नारौल (हरियाणा) जो संपत्ति वेध फंडह हित मेंमोहिल शिषण वर्मित, सचिव श्री विजय पाल पुत्र श्री राम सिंह (व्यामी), निवासी जिला नारौल, हरियाणा। 123023 के माध्यम से, के पक्ष में है, संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: शिव राम का प्लाट, दक्षिण: मुकुल का प्लाट, पूर्व: रज्जुक, पश्चिम: अन्य प्लाट।

दिनांक: 14-01-2026, स्थान: राजस्थान

	<b>यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड</b> चौबी मंजिल, टॉवर 3, इविलॉन्स विलेज मार्ग, एलबीसी रोड, कुर्ली, मुंबई 400070	
<b>मांग सूचना</b>		
वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्राधान्यों के अधीन		
अवरोहताहरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूँ, जिसने निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने के लिए कहा गया है। अवरोहताहरी का मतलब है कि उधारकर्ता मांग नोटिस से नवा रह है, इसलिए निम्नो के अनुसार मांग नोटिस को विपकारण और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस को सामग्री इस प्रकार है:		
<b>क्र.सं.</b>	<b>कर्जदार का नाम</b>	<b>मांग सूचना की तिथि एवं राशि</b>
1	1. यू. जिन हल्लेडुगुनिक्स 2. बुच्छत कुमार 3. बरिशा राज 4. एरमी एरमी लेन – UGDELMC0000051133	मांग सूचना तिथि 08.12.2025 रू. 22,67,533.00 (रू. बाईस लाख सड़सठ हजार छह सौ शैतीस मात्र) दिनांक 09.12.2025 तक
सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मॉडल: ऑफ मेक 20HP कोरसै मेक वैदस सिल्लपैटिक ऑटोमोशन एलएलसी बालाम नं. VMS/PV41		
2	1. मावना इंटप्राइजेज 2. मावना मर्ग 3. बरिशा राज लेन – UGDELMC0000031019	मांग सूचना तिथि 08.12.2025 रू. 24,38,013.00 (रू. चौबीस लाख अड़तीस हजार तेरह मात्र) दिनांक 09.12.2025 तक
सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मॉडल: 1. 8 डेड कोलिका 5121 वाला सॉल्टेड प्रिमाड, 2. डबल डेड वाला इको सॉल्टेड टिगुर जिसमें एक्सन 13200 सिंगल डेड 3. डबल डेड वाला DoZ 130W लेजर मशीन मेक सांसुन एंटप्राइजेज बालाम नंबर SE/DL23-2415		
3	1. तिम्मा टेनोलीजीज 2. मन्मथ सिंह 3. जतर्गिथर कोर लेन – UGDELMC0000068319 UGDELMC0000042599, UGDELMC0000047394	मांग सूचना तिथि 08.12.2025 रू. 38,56,544.00 (रू. अड़तीस लाख छपान हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) दिनांक 09.12.2025 तक
सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मॉडल: 1. आई कार्टिग मशीन टीडीबी-120टी, 2. होट कार्टिग मशीन एस. एस. शॉटस के साथ, 100 किग्रा, 3. 1. बीवी40 हॉट वैरर पुरी तरह से ऑटोमैटिक आई कार्टिग, 2. बीवी60 हॉट वैरर पुरी तरह से ऑटोमैटिक आई कार्टिग, 3. सीएनडी टर्फीग मशीन 8-बीस कैपेसिटी मेक। 1. टेनोलेडस आई कार्टिग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-मुगिट 2. 2. क्वाटिटी सैफर्स वेंडर 3. 1. शिवल सेलस कॉर्पोरेशन, 2. सिंगल सेलस कॉर्पोरेशन 3. सिंगल सेलस कॉर्पोरेशन बालाम नं. 1. TDQU/2/23-24/906 2.24-25/171 3.717,719,716		
उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लगभग, व्याज, विलंब भुगतान रू.6, बाईस मुकू, लागत और चार्ज सहित, मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा किए गए उधारकर्ता निष्पक्षिण समझौते के भीतर अपनी देयताधिका का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, जो उग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सब शर्तों अधिनियम का प्रयोग करने का हक्कार होता, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह विक्री के कब्जा से वाणिज्यिक और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने उधारकर्ताओं के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को विक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को खतम और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की विक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अपना कानूनी कानूनी शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को खतर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उधारवा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उधारवा के अतिरिक्त और उपर्यं खत है। उधारकर्ता के सामान्य ऋण के साथ अधिनियम की धारा 13(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस भुगतान के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पड़े (सील) घर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (जिसका अर्थ सामान्य ऋण के अलावा) से प्रतिबंधित/ बांजित किया जाता है। उधारकर्ता का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अवरोहताहरी के पास उपलब्ध है और यदि उधारकर्ता चाहें, तो वे इसे अवरोहताहरी से प्राप्त कर सकते हैं।		
स्थान: दिल्ली दिनांक: 14.01.2026	हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, official.officer@ugrocapital.in	

<b>CAPITAL INDIA</b> Rediscover Business
<b>कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड</b> पंजीकृत कार्यालय: 701, 7वीं मंजिल, आनंदल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट संख्या 23, इंडियन स्टेट, रावेडर प्लेस, नई दिल्ली-110008 दूरभाष: 011-6914 6000
<b>कांर्पोरेट कार्यालय:</b> लेवल-20, बिहार गेट, 10वीं फ्लोर रोड, मुंबई-400030; दूरभाष: 022-4503 6000
<b>वेबसाइट:</b> www.capitalindia.com ई-मेल: <a href="mailto:secretarial@capitalindia.com">secretarial@capitalindia.com</a>
<b>कांर्पोरेट पदवान संख्या (CIN):</b> L74899DL1994PL128577
<b>सदस्यों के लिए पोस्टल बिलेट एवं रिमोट ई-वोटिंग संबंधी सूचना</b>
सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110 ("अधिनियम") के प्राधान्यों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 ("नियम") के नियम 20 एवं 22, भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तियम बोर्ड (डिरेक्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अध्यायकताएं) विनियम, 2015 ("डिरेक्टिंग विनियम") के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एक्सप्रेस-2") तथा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (जिसमें समग्र-समग्र पर लागू किसी भी वैधानिक संस्था/एन/अधिनियम सम्मिलित है) के साथ, सभी कांर्पोरेट कार्य प्रशासन ("प्रभारी") द्वारा जारी सामान्य पत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अक्टूबर 2020, सामान्य पत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020, उपर्यं संशोधित पत्रावली पत्र संख्या पत्र संख्या संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तियम बोर्ड ("सीबी") द्वारा इस दिशा में जारी लाइव निर्देश (और सामूहिक रूप से "परिचय" कहा गया है) के अनुसार, कंपनी में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की सीबीआई दिनांक 30 सितंबर 2025 की सूचना के माध्यम से, पोस्टल बिलेट ("पोस्टल बिलेट") द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") के ज़रिये प्राप्त की जा रही है। यह सीबीआई सदस्य अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत संलग्न व्याख्यात्मक विवरण ("पोस्टल बिलेट सूचना") सहित मीमा का रही है ("पोस्टल बिलेट")।
कंपनी ने दिनांक 13 जनवरी 2026 को "पोस्टल बिलेट सूचना" का प्रेषण केवल ई-मेल के माध्यम से उन सदस्यों को पूर्ण कर दिया है, जिन्होंने अपने ई-मेल पते कंपनी आय केंद्रन टेनोलीजीज लिमिटेड, जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड एवं शेयर दासक एजेंट है ("केफिनटेक"), या डिजिटल/डिजिटल/डिजिटली प्रतिभाषिणी ("डीपी") के साथ पंजीकृत कराए हुए हैं, तथा जिन्होंने मांग शुक्रवार, 09 जनवरी 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को सचिव रजिस्टर/लानकारी सामर्थियों की सूची में दर्ज हैं। तदनुसार, यह पोस्टल बिलेट के संबंध में सूचना की भीतिगत प्रती, पोस्टल बिलेट पत्र तथा प्री-पेड डिजिटल रिपार्ड लिफाफा सदस्यों को प्रेषित नहीं किए गए हैं।
यदि वे सदस्य, जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार भीतिगत या अनिवार्य रूप से शेयर धारित करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करेंगे। सदस्यों के मतदान अधिकार, कट-ऑफ तिथि को कंपनी की भुगतान-सूकता इक्विटी शेयर पूंजी में उतके अर्थ के अनुसार में होगे तथा जो कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह पोस्टल बिलेट सूचना को केवल सूचना हेतु ही मानेगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के पश्चात, संबंधित सदस्य को उस मतदान में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के तहत पोस्टल बिलेट सूचना, सभी में संलग्न व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.capitalindia.com">www.capitalindia.com</a> पर, बीसीएस लिमिटेड ("बीसीएस") की वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> पर तथा रिजल्ट स्टैंडिक एक्सचेंज और ईडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> पर-उर्ध्व कंपनी के शेयर यूजुइटर हैं-उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, यह कंपन टेनोलीजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट <